न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 41/2018

देवकरण निवासी प्लाट नं0 62 कल्याण नगर करतारपुरा जयपुर राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 18.10.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2018 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–तरमीम संबंधी पूरी पत्रावली व कार्यवाही कर मय नक्शा रिपोर्ट,नकल ढाल बाछ व अंकन रजिस्ट्रर सही समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां कब किसके आदेश से किस अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही कर' तरमीम खसरा 687/1493/4 की गई।

2–सन् 2010 से अब तक कच्चा बंधा बृजलालनगर मे पटवारी, गिरदावर,ऑफिस कानूनगो एंव तहसीलदार कौन–कौन नाम सहित किस तिथी से कब तक इस हल्के के प्रभारी रहे,कार्यरत रहे।

3–खसरा नं0 3249/2 कस्बा मालपुरा स्टेशन की और का 3249/2 मे पांच पांच सात–सात खेतो सहित नक्शा ट्रेस आपके द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि दिलाने का श्रम करे इसके लिए पहले भी कई बार निवेदन भी किया जा चुका है और अभी आपके पास भोमिया शीट भी मोजूद है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को पत्र क्रमांक 1273 दिनांक 23.08.2018,1312 दिनांक 05.09.2018 व 1350 दिनांक 08.10.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा ने पत्र क्रमांक 7129 दिनांक 27.09.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि उनके पत्र क्रमांक 7128 दिनांक 27.09.2018 से अपीलार्थी को बिन्दूवार सूचना के संबंध मे सूचित किया जा चुका है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक